

आदेश

श्री दलीप सिंह, सेवादार, उप-मंडल रोजगार कार्यालय, पेहवा को 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने उपरांत दिनांक 31.08.12 को बाद दोपहर सेवानिवृत्त करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

दिनांक:- 08.08.12


डॉ महावीर सिंह
महानिदेशक रोजगार विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़ ।

पृ० क्रमांक ए-49(671)/ 16424-30

दिनांक 24-8-12

इसकी एक प्रति निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है ।

1. श्री दलीप सिंह, सेवादार, उप-मण्डल रोजगार कार्यालय, पेहवा ।
2. मण्डल रोजगार अधिकारी, अम्बाला ।
3. जिला रोजगार अधिकारी, कुरुक्षेत्र ।
4. महालेखाकार, हरियाणा चण्डीगढ़ ।
5. निदेशालय के स्थापना शाखा के सहायक-4
6. निदेशालय की बी-शाखा ।
7. प्रोग्रामर, रोजगार निदेशालय, हरियाणा, चण्डीगढ़ ।


उप-निदेशक
कृत: महानिदेशक